



14

न्यायालय राजस्व बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

प्र.कं.-

1. अमरूलाल पिता हंसराज जाति हरिजन निगरानी-0485/2019/मंदसौर/प्र
निवासी-ग्राम सिहोर, तहसील व जिला मंदसौर म.प्र.
2. उदेराम पिता हंसराज जाति हरिजन
निवासी-ग्राम सिहोर तहसील व जिला मंदसौर म.प्र.----- प्रार्थी

विरुद्ध

कमलसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत
निवासी-ग्राम सिहोर तहसील व जिला मंदसौर म.प्र.----- विपक्षी

// निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता
विरुद्ध निर्णय दिनांक 09/01/2019 प्रकरण क्रमांक
1162/अपील/2016-17 न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन
जिसकी सूचना दिनांक 25/01/2019 को प्राप्त हुई।
जिसके द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा
पारित निर्णय दिनांक 17/05/2017
प्र.कं.-14/अ-9/2016-17 एवं अतिरिक्त तहसीलदार
टप्पा धुंधड़का के प्र.कं. 7/अ-9/2008-09 में पारित
आदेश दिनांक 23/02/2010 यथावत रखा गया //

माननीय महोदय,

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि ग्राम सिहोर में सन् 1973-74 व 1996-97 में रिकार्ड ऑफ राईट्स बने उसमें प्रार्थीगण के पुराने सर्वे क्रमांक 41 व 68 का क्षेत्रफल सन् 1973-74 के रिकार्ड ऑफ राईट्स के अनुसार सन् 1996-97 में दर्ज नहीं हुआ, इस कारण रिकार्ड ऑफ राईट्स व नक्षे में दुरुस्ती की जाने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र न्यायालय तहसील में दिनांक 24/09/2001 को प्रस्तुत किया।

2. यह कि उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उज्जैन ने अपने निर्णय दिनांक 12/12/2008 के अंतिम चरण में यह लिखा है कि राजस्व निरीक्षक ने एवं अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदक व

R.M.
श्री गोपाल सिंह शास्त्री
आजीविका/प्र.कं. 5/12/19
5/12/19
28/3/2019
65

डाक से प्राप्त
कायम कर वक ईडे
प्र.कं. 140/24-4-19
उज्जैन के सं
10-4-19

[Handwritten signature]

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0485/2019/मंदसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 09.01.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	